

**SCIENTIFIC COOPERATION**

**Agreement Between the  
UNITED STATES OF AMERICA  
and INDIA**

Signed at New Delhi March 21, 2000



NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966  
(80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

“ . . .the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof.”

## **INDIA**

### **Scientific Cooperation**

*Agreement signed at New Delhi March 21, 2000;  
Entered into force March 21, 2000.*

AGREEMENT BETWEEN THE  
GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA  
AND THE  
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA  
ON  
THE INDO-U.S. SCIENCE AND TECHNOLOGY FORUM

The Government of the United States of America and the Government of the Republic of India (hereinafter the "Parties"),

Desirous of promoting scientific and technological cooperation between the peoples of their two countries and enhancing the ability of their peoples to contribute to the store of human knowledge and achievement,

Have agreed as follows:

## Article I

### The Purpose of the Forum

The two Parties agree to establish the Indo-U.S. Science and Technology Forum (the "Forum") which shall facilitate and promote the interaction, in the United States and India, of government, academia, and industry in science, technology and other areas addressed by its predecessor, the U.S.-India Fund (USIF). The Forum shall focus on issues of common concern and activities of mutual benefit while exploring trends in science and technology. The Forum shall promote research and development, the transfer of technology, the creation of a comprehensive electronic reference source for Indo-U.S. science and technology cooperation, and the electronic exchange and dissemination of information on Indo-U.S. science and technology cooperation, and other programs consistent with the previous practice of USIF.

## Article II

### Forum Activities

1. The Forum shall establish an electronic reference source in order to promote an active electronic exchange of ideas and opportunities in Indo-U.S. science and technology cooperation and other areas addressed by USIF. The dialogue fostered by this electronic interchange would be available to support the deliberations of the Forum's Governing Body.
2. The Forum shall provide a medium for reporting on the status of existing cooperative activities and for dissemination of Governing Body guidance and deliberations.
3. The Forum shall commission studies, reports and papers and would assist in facilitating and promoting joint collaboration of projects.
4. The Forum shall seek recognition and affiliation with other international scientific societies deemed beneficial to promoting the goals of the Forum.
5. Participation in all programs, events and activities sponsored by the Forum shall be subject to the concurrence of both Parties. Nothing in this agreement shall require the Parties to act contrary to their national laws or regulations.

## Article III

### The Governing Body

1. The Forum shall be registered as a non-profit Society under the Indian Societies Act and shall have the ability to receive funds from public and private sources to carry out its activities.

2. To ensure that the activities undertaken by the Forum conform to the highest standards of excellence, a Governing Body of eminent persons shall be established with equal U.S. and Indian representation. Members of the Governing Body shall be highly respected representatives from government, industry, academia, and private organizations with a genuine interest in encouraging Indo-U.S. science and technology collaboration.

3. The Governing Body shall meet at least once a year.

4. In providing guidance and leadership to the Forum, the members of the Governing Body shall monitor present activities and trends in bilateral science and technology cooperation and make recommendations and identify priorities for future cooperation.

5. Unless otherwise specified in this Agreement, the Governing Body shall have ultimate authority for all decisions implementing this Agreement. The Governing Body may vote to delegate in writing its decision-making authority to the Executive Director, consistent with the Director's responsibilities as defined in Article IV below. The Governing Body may also establish advisory groups or committees for specific purposes as required.

6. Except as provided in paragraph 7 below, the term of service for the Governing Body members shall be three years.

7. The Governing Body shall be composed of seven members from the United States and seven from India. Of the seven members from each Party, four members shall come from government and the remaining members from industry, academia and private organizations. To provide official linkage to the GOI, the Secretary of the Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, shall be one of the seven Indian members of the Governing Body. The Secretary shall serve on the Governing Body as long as he/she holds his/her appointment as Secretary of the Department of Science and Technology. The other representatives shall be nominated by the respective Parties.

8. The Governing Body shall to the extent possible operate on the basis of consensus. When it is necessary to vote on an issue, policy matters shall be decided by a simple majority vote and budgetary matters shall be decided by a two-thirds majority. For all votes, the majority vote shall include the votes of all the government representatives of both Parties to this Agreement.

Article IV  
Administration of the Forum

1. The Forum shall employ a full time Executive Director, who shall be a non-member convener of the Governing Body, and minimal support staff (preferably no more than two). The Executive Director shall be selected and supervised by the Forum Governing Body.
  
2. The Executive Director shall be responsible for scientific administration, fiscal oversight, coordination of Forum activities, support of Forum fund raising and providing services to the Forum. The Executive Director shall submit a report annually to the Governing Body on the activities of the Forum.

Article V  
Financing the Forum

1. The Parties shall use funds allocated from the so-called "Regular Fund," established upon conclusion of the Agreement Between the Government of the Republic of India and the Government of the United States of America on Educational, Cultural and Scientific Cooperation, signed at New Delhi, January 7, 1987, to create an endowment to support the operations of the Forum.
  
2. The Forum shall manage this endowment and use the annual interest earnings to support its operations and activities.
  
3. Each year, the Government of India shall provide the Forum with matching funds that are equal to the annual interest earnings from the endowment.
  
4. The Forum, in its capacity as an Indian Society, may also seek to raise funds from industry and private sources, in India and the United States, to support its activities, in accordance with the laws, regulations, and policies of the country in which the funds are being raised.

Article VI  
Facilitation of Cooperation

1. Each Party shall use its best efforts to facilitate financial contributions to the Forum from industry and private sources, in accordance with its national laws and regulations.

2. The Parties shall use their best efforts to facilitate cooperation under this Agreement, including taking appropriate measures with respect to the prompt entry into and exit from their territory of personnel, supplies, research materials and equipment of the other side and with respect to exemptions from taxes and other fees of personnel and equipment connected with the Forum or activities under this Agreement in accordance with the applicable laws and regulations of each country.

Article VII  
Qualifications and Restrictions

1. Activities under this Agreement shall be subject to the laws and regulations in each country and the availability of funds.
2. Nothing in this Agreement shall be construed to prejudice other arrangements for cooperation between the two countries. The Parties shall use their best efforts to ensure compatibility between the operation of this Agreement and other such agreements. The Forum shall neither sponsor, nor permit under its auspices, any activity that would be proscribed by either Party's national laws or regulations.

Article VIII  
Entry into Force, Termination and Amendments

1. The Forum shall be established upon signature of this Agreement.
2. The Agreement shall remain in force until terminated by either Party giving six months advance notification to the other Party in writing. Any remaining assets would be disposed of in India as mutually agreed by the Parties.
3. The Agreement may be amended by mutual written agreement by the Parties.

DONE at New Delhi March 21, 2000, in two originals, in the English and Hindi languages. In the case of divergence between the two language texts, the English language text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
UNITED STATES OF AMERICA:

*Madeleine Albright*

FOR THE GOVERNMENT OF THE  
REPUBLIC OF INDIA:

*B. J. Prasad*

संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार  
तथा  
भारत गणराज्य की सरकार  
के बीच  
भारत-यू एस विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम  
पर करार

संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत गणराज्य की सरकार (जिन्हें इसके बाद "पक्ष" कहा गया है),

विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में दोनों देशों के लोगों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने तथा मानव ज्ञान एवं उपलब्धि के भण्डार में योगदान देने के लिए अपने लोगों की योग्यता बढ़ाने की इच्छा व्यक्त करते हुए,

निम्नानुसार सहमत हुए हैं :

**अनुच्छेद - I**

**फोरम का लक्ष्य**

दोनों पक्ष भारत-यूएस० विज्ञान और प्रौद्योगिकी फोरम ("फोरम") की स्थापना करने के लिए सहमत हुए हैं, जिसमें भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य, शिक्षा और विज्ञान में उद्योग, प्रौद्योगिकी तथा इसके पूर्वाधिकारी यूएस-भारत निधि द्वारा सम्बोधित अन्य क्षेत्रों में परस्पर संबंध सरल तथा प्रोन्नत हो जाएंगे। फोरम, अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी स्थानांतरण, भारत-यूएस० विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग हेतु एक विस्तीर्ण इलैक्ट्रानिक संदर्भ स्रोत के सृजन, और भारत-यूएस० विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग पर सूचना के इलैक्ट्रानिक आदान-प्रदान एवं प्रसार, तथा यूएस-भारत निधि के पिछले कार्यों के अनुरूप कार्यक्रमों का प्रोन्नयन करेगा।

**अनुच्छेद - II**

**फोरम की गतिविधियाँ**

1. फोरम, भारत-यूएस० विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग एवं यूएस-भारत निधि द्वारा सम्बोधित अन्य क्षेत्रों में विचार एवं अवसरों के एक सक्रिय इलैक्ट्रानिक आदान-प्रदान के प्रोन्नयन हेतु एक इलैक्ट्रानिक संदर्भ स्रोत की स्थापना करेगा। इस इलैक्ट्रानिक आदान-प्रदान द्वारा उत्पन्न सम्भाषण फोरम के शासी निकाय के विचार-विमर्श को सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
2. फोरम विद्यमान सहयोग गतिविधियों की स्थिति पर रिपोर्ट करने तथा शासी निकाय के दिशा निर्देश एवं विचार विमर्शों का प्रसार करने हेतु माध्यम उपलब्ध कराएगा।

: 2 :

3. फोरम द्वारा अध्ययन, रिपोर्ट तथा लेख प्रकाशित किए जायेंगे और परियोजनाओं की संयुक्त सहभागिता को बढ़ावा देने तथा प्रोन्नत करने में सहायता दी जाएगी।
4. फोरम के लक्ष्यों के सर्वधन के लिए आवश्यकता पड़ने पर फोरम द्वारा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सोसाइटीज के साथ मान्यता एवं संबद्धता प्राप्त किया जाएगा।
5. फोरम द्वारा प्रायोजित सभी कार्यक्रमों, घटनाओं एवं कार्यकलापों में सहभागिता दोनों पक्षों की सहमति पर ही होगी। इस करार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि दोनों पक्षों को अपने राष्ट्रीय नियमों अथवा विनियमों के प्रतिकूल कार्य करने की आवश्यकता हो।

### अनुच्छेद - III

#### शासी निकाय

1. फोरम को एक नान-प्राफिट सोसायटी के रूप में भारतीय सोसाइटीज एक्ट के तहत पंजीकृत किया जाएगा तथा इसे अपने कार्यकलापों को चलाए रखने के लिए सार्वजनिक एवं निजी स्रोतों से निधि प्राप्त करने का अधिकार होगा।
2. फोरम द्वारा शुरू की गई गतिविधियों की उत्कृष्टता के उच्च मानदंडों को सुनिश्चित करने के लिए प्रख्यात व्यक्तियों को मिलाकर एक शासी निकाय स्थापित किया जाएगा जिसमें यू०एस० तथा भारत के बराबर-बराबर प्रतिनिधि शामिल होंगे। शासी निकाय के सदस्य, सरकार, उद्योग, शिक्षा के क्षेत्र तथा निजी संगठनों के लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिनिधि होंगे जिनकी भारत-यू०एस० विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग को प्रोत्साहित करने में वास्तविक रूप में दिलचस्पी हो।
3. शासकीय निकाय की बैठक साल में कम से कम एक बार होगी।
4. फोरम का मार्गदर्शन करने तथा उसे नेतृत्व प्रदान करने के लिए शासी निकाय सदस्य के द्विपक्षीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग के क्षेत्र में मौजूदा प्रवृत्तियों एवं गतिविधियों को मॉनीटर करेंगे और सिफारिशें करने के अलावा भविष्य में सहयोग करने के लिए प्राथमिकताओं का पता लगाएंगे।
5. जब तक इस करार में विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, जब तक इस करार में किए गए सभी निर्णयों को कार्यान्वित कराने के लिए शासी निकाय अन्तिम प्राधिकरण होगा। शासी निकाय अपने निर्णय लेने सम्बन्धी अधिकारों को कार्यकारी निदेशक को प्रत्यायोजित किए जाने के सम्बंध में लिखित रूप में प्रस्ताव पारित कर सकता है जो कि नीचे अनुच्छेद-IV में यथा परिभाषित निदेशक के उत्तरदायित्वों के अनुरूप होगा। शासी निकाय जरूरत पड़ने पर विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ परामर्शदात्री समूहों अथवा समितियों की स्थापना भी कर सकता है।

6. नीचे अनुच्छेद-VII के प्रावधानों के अलावा, शासी निकाय के सदस्यों का सेवाकाल तीन वर्ष होगा।
7. शासकीय निकाय की संरचना में सात सदस्य संयुक्त राज्य के तथा सात सदस्य भारत के शामिल होंगे। दोनों पक्षों के सात सदस्यों में से चार सदस्य सरकार से आएंगे, तथा शेष सदस्य उद्योग, अकादमियों तथा निजी संगठनों से होंगे। भारत सरकार के साथ शासी सह-अनुबंधन उपलब्ध कराने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव शासी निकाय के सात भारतीय सदस्यों में से एक सदस्य होंगे। शासकीय निकाय में सचिव की नियुक्ति उतनी ही अवधि के लिए होगी जितनी अवधि के लिए वह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव के पद पर नियुक्त रहेंगे/रहेंगी। अन्य प्रतिनिधियों को संबद्ध पक्षों द्वारा नामित किया जाएगा।
8. शासी निकाय को जहां तक संभव हो सके आपसी सहमति के आधार पर ही अपना कार्य संचालन करना चाहिए। जब किसी मुद्दे पर मतदान करवाने की जरूरत पड़ ही जाए तो, नीतिगत मामलों का निर्धारण एक साधारण बहुमत के माध्यम से किया जाएगा और बजट से संबंधित मामलों का निर्धारण दो तिहाई बहुमत के आधार पर किया जाएगा। सभी प्रकार के मतदान में बहुमत वाले मतों में इस करार के दोनों पक्षों के सभी सरकारी प्रतिनिधियों के मतों को भी अवश्य शामिल किया जाना चाहिए।

#### अनुच्छेद - IV

##### फोरम का प्रशासन

1. फोरम का पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक, जो कि शासी बोर्ड का एक गैर-सदस्यीय संयोजक होगा और अल्पतम सहायक कर्मचारी (अधिमन्यतः दो से अधिक नहीं) नियुक्त करेगा। कार्यकारी निदेशक का चयन एवं पर्यवेक्षण फोरम के शासी निकाय द्वारा किया जाएगा।
2. कार्यकारी निदेशक, वैज्ञानिक प्रशासन, राजकोषीय चूक, फोरम की गतिविधियों में समन्वय रखने, फोरम की निधियां जुटाने तथा सेवाएं उपलब्ध कराने के मामलों में फोरम के प्रति जवाबदेह होगा। कार्यकारी निदेशक फोरम की गतिविधियों के बारे में शासकीय निकाय को वार्षिक आधार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

: 4 :

### अनुच्छेद - V

#### फोरम का वित्त पोषण

1. पक्षों द्वारा फोरम के प्रचालन में सहयोग हेतु वृत्तिदान सृजित करने के लिए "नियमित निधि", जिसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारत गणराज्य की सरकार के बीच नई दिल्ली में 7 जनवरी, 1987 को शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक सहयोग पर संपन्न करार के अनुसार की गई थी, द्वारा आवंटित निधियों का उपयोग किया जाएगा।
2. यह फोरम इस निधि का प्रबंधन करेगा तथा वार्षिक ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशियों का उपयोग अपने प्रचालन कार्यों तथा अन्य गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए करेगा।
3. प्रत्येक वर्ष भारत सरकार इस फोरम को समतुल्य निधियां उपलब्ध करायेगी जो निधि से प्राप्त होने वाली वार्षिक ब्याज की प्राप्तियों के बराबर होगी।
4. यह फोरम, एक भारतीय सोसयटी के रूप में संयुक्त राज्य तथा भारत में अपनी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए उद्योग तथा निजी संसाधनों से निधियां जुटाना चाहेगा जो कि उस देश के कानूनों, विनियमों एवं नीतियों के अनुरूप होगा जिस देश में निधियां जुटाई जा रही हैं।

### अनुच्छेद - VI

#### सहयोग को बढ़ावा देना

1. प्रत्येक पक्षों द्वारा अपने-अपने राष्ट्रीय नियमों एवं विनियमों के अनुसार उद्योग तथा निजी स्रोतों से फोरम को वित्तीय अंशदान सुलभ कराने के लिए अधिकतम प्रयास किए जाएंगे।
2. पक्षों द्वारा इस करार के तहत सहयोग बढ़ाने के लिए इष्टतम प्रयास किए जायेंगे जिनमें उनके राज्य क्षेत्र में तथा राज्य क्षेत्र से दूसरे पक्ष के कार्मिकों, आपूर्तियों, शोध-सामग्रियों तथा उपस्करों को शीघ्र प्रवेश दिलाने हेतु समुचित उपाय तथा इस करार के तहत फोरम अथवा कार्यकलापों से संबंधित कार्मिकों एवं उपस्करों को करों तथा अन्य शुल्कों में अपने-अपने देश में लागू नियमों एवम् विनियमों के अनुसार छूट प्रदान करना शामिल हैं।

: 5 :

**अनुच्छेद - VII**

**योग्यताएं एवं नियंत्रण**

1. इस करार के तहत कार्यक्रमों प्रत्येक देश के नियमों एवं विनियमों तथा विधियों की उपलब्धता के अधीन होगी।
2. इस करार में इस तरह का कोई अन्वय नहीं होगा जिसके द्वारा दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए अन्य व्यवस्थाओं पर कोई प्रतिकूल असर पड़े। दोनों पक्षों द्वारा इस करार तथा अन्य प्रकार के करारों के प्रचालन के बीच संगतता सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव प्रयास किए जाएंगे। फोरम अपने तत्वाधान में ऐसी किसी भी गतिविधि को न तो प्रायोजित करेगा और न ही इसकी अनुमति देगा जिनमें राष्ट्रीय नियमों अथवा विनियमों द्वारा अभिनिषिद्ध होगा।

**अनुच्छेद - VIII**

**प्रभावी प्रविष्टि, समापन एवं संशोधन**

1. फोरम की स्थापना इस करार पर हस्ताक्षर होने के बाद की जाएगी।
2. यह करार तब तक प्रभावी माना जाएगा जब तक कि किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को 6 महीने की अग्रिम अधिसूचना देकर इसे समाप्त न कर दिया जाए। दोनों पक्षों की परस्पर सहमति के अनुसार किसी भी शेष परिसम्पत्ति का निपटारा भारत में कर दिया जाएगा।
3. यदि परस्पर सहमति हो तो दोनों पक्ष इस करार में लिखित रूप में संशोधन कर सकते हैं।

यह करार नई दिल्ली में 21 मार्च, 2000 को दो मूल पाठों अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषाओं में सम्पन्न हुआ। भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार  
की ओर से :

*Madeleine Albright*

भारत गणराज्य की सरकार  
की ओर से :

*3*